

तहसील देहरादून, जनपद देहरादून

उत्तर प्रदेश स्टांप (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के तहसील देहरादून के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है। यह दरें दिनांक 1 नवम्बर 2003 से दिनांक 31 अक्टूबर 2005 तक प्रभावी होंगी।

(1 नवम्बर 2003 से 31 अक्टूबर 2005 तक)

(राधा रतूड़ी)
कलेक्टर, देहरादून

कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- गहानिरीक्षक निवन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- जिला निबंधक, देहरादून।
- 3- अपार जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व देहरादून)।
- 4- सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, देहरादून।
- 5- सब रजिस्ट्रार - I, देहरादून।
- 6- सब रजिस्ट्रार - II, देहरादून।
- 7- सब-रजिस्ट्रार, मसूरी।
- 8- उपजिलाधिकारी देहरादून।
- 9- उपजिलाधिकारी, मसूरी।
- 10- तहसीलदार देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
कलेक्टर, देहरादून

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के तहसील त्रिविकेश के लिए द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निघरिण विवरण पत्र के अनुसार किया जा रहा है, यह दरें दिनांक 1 नवम्बर 2003 से दिनांक 31 अक्टूबर 2005 ई० तक प्रभावी रहेगी।

नगर निगम में पूर्ण रूप से सम्मिलित ग्राम की दरें

क्र. सं.	क्षेत्र / राजस्व प्राप्तों के नाम	सिद्धि दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	असिद्धि दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तर्ण के लिए निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मीटर)				व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मीटर	दुकान / स्टोरेज / कार्या. की प्रति वर्ग मीटर दर	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)			
				500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	500 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर	500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर			गोदाम	होटल / गेस्ट हाउस / बारातघर / सिनेमा हॉल / पेट्रोल पम्प	अस्पताल / धर्मशाळा / मनोरंजन स्थल जो कि उच्च राज. अधिक के अन्तर्गत है।	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2. शाहमणवाला												
3	3. धरनावाला 4. चिड़वाली												
4	5. धर्मपुरडाण्डा 6. गोभीवाला	35	30	1000	900	800	700	3000	65	50	35	35	
5	7. लोहारवाला 8. शाहपुर सन्तौर												
6	9. शम्भुवाला 10. शाहनगर												
7	11. एक शाहनगर 12. कण्डौली												
8	13. कारगी ग्राम 14. पैमपुर माफी 15. राजपुर माफी 16. अजबपुर कला 17. अजबपुर खुद 18. केदारपुर 19. निरंजनपुर 20. शौला गढ़ मण्डक												
9	21. एक शाहनगर 22. अर्धाईवाला 23. इन्दरपुर 24. धोरण खास 25. चीड़वाली 26. कण्डौली 27. थानी गांव 28. डुगाल गांव 29. वीरगिरवाली												

for - 30/10/11
 (विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।


अर्द्धनगरीय क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम

क्र.सं.	शेखर / राजस्थान ग्रामों के नाम	स्थिति दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	अभिवृद्धि दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तर्ण के लिए निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मीटर)					व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मीटर	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)			
				500 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर	500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्या. की प्रति वर्ग मीटर दर	गोशाला / होटल / मेस्ट / हाउस / मारातधर / सिनेमा / हॉल / थैट्रो ल पम्प	अस्पताल / चर्मरोगाला / मनोरंजन स्थल का 1/2 च.प. प्राणि. आदि के अन्तर्गत है।	
1	1. भारुवाला ग्रान्ट 2. सेवलाखुर्द 3. मोहखेवाला 4. सौन्धोवाली 5. वनजारे वाला 6. इन्दरपुर 7. डांड नरीवाला 8. डांडा धोरण 9. डांडा लखौन्ड 10. ब्रह्मावाला 11. बाजावाला	35	30	1000	900	800	700	3000	65	10	11	12	13
2	1. आहडी 2. सुन्दरवाला 3. आमठाला तरला 4. यदीपुर 5. नथनपुर 6. मोहकपुर कला 7. मोहकपुर खुर्द 8. मालसी 9. सिनीला 10. दानियों का डांडा 11. आरकडिया ग्रान्ट 12. गोरशपुर भाफी 13. सेवला कला 14. मोथरावाला 15. मेंडूवाला भाफी 16. हरबशावाला 17. मककावाला 18. हरवाला 19. कुवावाला 20. माजरी गांधी 21. विद्यावाला 22. नवादा 23. बालावाला 24. लाडपुर 25. रायपुर 26. विजयपुर हाथीवडकला 27. भारुवाला 28. तेलपुरा ग्रान्ट 29. चन्द्रदानी ग्रान्ट 30. कठाला गांव 31. किरशाली 32. खेडा मानसिंह वाला 33. हरभजवाला 34. मिटठी भेडी 35. पित्थूवाला	35	30	1000	900	800	700	3000	65	10	11	12	13

विशेषी - उक्त ग्रामों में जो भूमि मुख्य सड़क से 350 मीटर के अंतर्गत स्थित होगी उस पर मुख्य सड़क की दरें प्रभावी होंगी। उक्त ग्रामों में जो भूमि नगर विभाग क्षेत्रों के अंतर्गत उल्लिखित मोहल्लों में स्थित होगी उन पर नगर नेगन के मोहल्लों की सुसंगत क्षेत्रान्तर्गत दरें लागू होंगी।

1	1. आहडी 2. सुन्दरवाला 3. आमठाला तरला 4. यदीपुर 5. नथनपुर 6. मोहकपुर कला 7. मोहकपुर खुर्द 8. मालसी 9. सिनीला 10. दानियों का डांडा 11. आरकडिया ग्रान्ट 12. गोरशपुर भाफी 13. सेवला कला 14. मोथरावाला 15. मेंडूवाला भाफी 16. हरबशावाला 17. मककावाला 18. हरवाला 19. कुवावाला 20. माजरी गांधी 21. विद्यावाला 22. नवादा 23. बालावाला 24. लाडपुर 25. रायपुर 26. विजयपुर हाथीवडकला 27. भारुवाला 28. तेलपुरा ग्रान्ट 29. चन्द्रदानी ग्रान्ट 30. कठाला गांव 31. किरशाली 32. खेडा मानसिंह वाला 33. हरभजवाला 34. मिटठी भेडी 35. पित्थूवाला	35	30	1000	900	800	700	3000	65	10	11	12	13
---	---	----	----	------	-----	-----	-----	------	----	----	----	----	----

विशेषी - उक्त ग्रामों में वरिष्ठ ग्रामों में मसूरी रोड पर पड़ने वाली किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तर्ण पर सड़क से 350 मीटर तक मुख्य सड़क की दरें प्रभावी होंगी।


 (विनोद प्रसाद रतूडी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	शेड / राजस्व ग्रामों के नाम	सिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	असिंचित दर प्रति हेक्टेयर (लाख रु. में)	1000 वर्ग मीटर तक की भूमि के अन्तरण के लिए निर्धारित दर (प्रति वर्ग मीटर)						व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मीटर	दुकान/ रेस्टोरेन्ट / कार्या. की प्रति वर्ग मीटर दर	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
				500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मी. दूर निर्धारित दर	501 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर			गोदाम	होटल/ मोस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर / सिनेमा हॉल/ मैट्रोपॉलिस पम्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	हरिपुर 2. चकतुनवाला 3. नकरीन्दा 4. नथुवावाला	35	30	1000	900	800	700	2000	50	35	25	25	

टिप्पणी:- उपरोक्त सभी ग्रामों में गुल्ल हस्तिद्वार रोड पर हरिद्वार रोड के दोनों ओर 350 मीटर के अन्दर स्थित भूमि के अन्तरण पर हरिद्वार रोड की दरें लागू होगी।


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1. ननूर खेडा 2. डांडा खुदानवाला 3. अस्थल 4. आमवाला पडला 5. चालंग 6. कालागाँव 7. गुजराड़ा मानसिंह 8. तरला 9. आमवाला करनपुर	35	30	1000	900	800	700	2000	50	35	25	25

टिप्पणी:- उपरोक्त सभी ग्रामों में सहस्रधारा रोड पर सहस्रधारा रोड के दोनों ओर 350 मीटर के अन्दर स्थित भूमि के अन्तरण पर सहस्रधारा रोड की दरें लागू होगी।

for 20/11/2017
 (विनोद प्रसाद शर्मा)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	1. जोईवाला 2. डैशवाला 3. चान्दमारी 4. प्रेमनगर 5. कुड़कावाला 6. माधोवाला 7. लच्छीवाला 8. हंसूवाला 9. छदामीवाला 10. मारखम ग्रान्ट-1 11. मारखम ग्रान्ट-11 12. मिरसरवाला कला 13. मिरसरवाला खुर्द 14. खैरी 15. खाता 16. धर्मचक 17. तैलीवाला 18. बुल्लावाला 19. अवरवाला 20. दूधली 21. सिमलास ग्रान्ट 22. नागल ज्वालपुर 23. नागल बुलन्दावाला 24. गान्दयाला 25. मौहम्मदपुर बाइकली 26. किरानपुर 27. मिरसरपडी	24	22	900	800	700	600	2000	50	35	25	25

टिप्पणी:- उपरोक्त सभी ग्रामों में मुख्य हरिद्वार रोड पर हरिद्वार रोड के दोनों ओर 350 मीटर के अन्दर स्थित भूमि के अन्तर्ण पर हरिद्वार रोड को ट-जंक्शन बनाया जायेगा।


 (विनोद प्रसाद रस्तौड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।


	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. चाकबजारा वाला 2. अम्बीवाला 3. खेसाबोज 4. मल्हा वाला 5. मद्रुलवाला 6. चन्द्रबनी रामदास 7. विजयपुर गोधीवाला 8. घघौडा 9. बिष्ट ग्राम 10. गजियावाला 11. गगोल महितवाडी 12. आसारोडी 13. भन्डार गांव 14. पुन्कल गांव 15. ग्रामन गांव 16. खाला गांव 17. उतडी गांव 18. थानी गांव 19. बगरालगाव 20. विलासपुर कानडली 21. हरियावाला 23. बहादुरपुर 22. पुरोहितवाला 23. बहादुरपुर 24. कथारकुली भट्टा	17.50	15.00	900	800	700	600	2000	50	35	25	25

प्रति वर्ग मीटर की दर से 350 मीटर तक से सड़क पर अन्तरण पर सड़क से 350 मीटर तक रु 1200/- प्रति वर्ग मीटर की दर पर नगरपालिका मसूरी में पड़ने वाली भूमि पर नगरपालिका मसूरी की सुसंगत दरें प्रभावी होंगी।

उक्त ग्रामों में मसूरी रोड पर पड़ने वाली किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क से 350 मीटर तक रु 600 प्रति वर्गमीटर की दर पर नगरपालिका मसूरी में पड़ने वाली भूमि पर नगरपालिका मसूरी की सुसंगत दरें प्रभावी होंगी।

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. हुगल गांव 2. मुनियाल गांव 3. भोरकी 4. खेडा गोपीवाला 5. मकडंती 6. सिंगली 7. भितरली 8. मरखंड 9. रिखौली 10. गलजवाडी 11. झडीपानी 12. सलानगांव 13. चन्द्रोटी 14. डोकवाला 15. भगवन्तपुर 16. सलोनीवाला मपचक 17. जमोलीवाला 18. जमनीवाला	8.00	7.00	600	550	500	450	2000	50	35	25	25

उक्त ग्रामों में मसूरी रोड पर पड़ने वाली किसी भी क्षेत्रफल की भूमि के अन्तरण पर सड़क से 350 मीटर तक रु 600 प्रति वर्गमीटर की दर पर नगरपालिका मसूरी में पड़ने वाली भूमि पर नगरपालिका मसूरी की सुसंगत दरें प्रभावी होंगी।



 (विनोद प्रसाद रस्तूड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वसंत											
2	बांडवाली											
3	बहासीग्राम											
4	भोपालपानी											
5	भंडारीवाला											
6	गुजरमी											
7	दिब्या नालापानी											
8	हटनाल											
9	जगातखाना करनपुर											
10	काली माटी											
11	धानीला											
12	फिरसाली											
13	कुल्हान											
14	नानसिंह											
15	खेरी नानसिंह											
16	खुरावा											
17	मंगलूवाला											
18	मरोठा											
19	नागल हटनाला											
20	पाववाला											
21	पुन्नाडी											
22	रैनीवाला											
23	सोथोवाली	6.10	5.00	400	350	300	250	1000	40	30	20	20
24	सिल्ला											
25	गुजरमी											
26	घन्डीत											
27	फागसी											
28	फुलेत											
29	थेवा											
30	सौडा											
31	टिमली											
32	मानसिंह											
33	कैरवान											
34	कारलीगाड											
35	कन्नपुर											
36	भैसवाड											
37	गाव											
38	वागडा											
39	बोरन											
40	छमरौली											
41	चामासारी											
42	द्वारा											
43	हर्चावाला											
44	व्यारा											
45	अखण्डवाली											
46	बावंठा											
47	नालीकलां											
48	सिमियारी											
49	सरीना											
50	नडाडा											
51	कैरवान											
52	मालकोट											
53	डोमगांव											
54	हथड़ीगांव											

Hry - 30/10/2023
 (विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।


डोईवाला टाउन एरिया क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	सड़क से 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 51 मीटर दूरी से 350 मीटर तक आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)	व्यवसायिक दर (प्रति वर्ग मीटर)	रेस्टोरेंट/दुकान/कार्या. दर (प्रति वर्ग मीटर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
		निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	गोदाग	होटल/गेस्ट हाउस/सारातघर/सिनेमाहाल/पेट्रोल पम्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. देहरादून-डोईवाला-ऋषिकेश, शुगरमिल रोड तथा प्रेमनगर बाजार रोड पर	3000	2000	3000	65	50	64	64
	2. 350 मीटर से आगे	1800	1500	1800	50	40	35	35


 (विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।


देहरादून नगर निगम क्षेत्र की दरें

क्र. सं.	प्रमुख क्षेत्र	क्षेत्र	सड़क से 50 मीटर तक	सड़क से 50 मीटर आगे	व्यवसायिक	रेस्टोरेंट/ दुकान/ कार्या. की दर (प्रति वर्ग मीटर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)		निर्धारित दर
			आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)	आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्ग मीटर)	गोदाम	होटल/ गेस्ट हाउस/ वास्तव्य/ सिनेमाहाल/ पेट्रोल पम्प	अस्पताल/ धर्मशाला/ भवन/ स्थापना/ इ.प्र. वाणि. अपि. के अन्तर्गत है।	
			निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजपुर क्षेत्र	1. राजपुर 2. ढाकपट्टी 3. किशनपुर 4. जाखन 5. बाडी गार्ड 6. प्रतीतपुर सन्तौर	2500	2200	3000	65	50	35	35
2.	आय नगर क्षेत्र	1. वीरगिरवाली 2. घासमन्डी	2000	1800	3000	65	50	35	35
3.	मानसिंहवाला	1. डी0एल0 रोड 2. सेवक आश्रम रोड 3. विष्णु रोड 4. आर्यनगर 5. अधोईवाला 6. नदी रिस्पना रोड	2200	2000	3000	65	50	35	35
3.	मानसिंहवाला	1.ओल्ड सर्वे रोड 2. मानसिंहवाला 3. बगौली लाइवरी रोड 4. बगौली मौहल्ला 5. डी0ए0वी0 कालेज रोड 6. दिलाराम बाजार (राजपुर रोड से 350 मीटर छोड़कर)	2200	2000	3000	65	50	35	35
4.	ओल्ड डालनवाला	1.ओल्ड डालनवाला 2. करनपुर खार 3. गुरुद्वारा रोड 4. प्रिसिपिल रोड 5. सीमेंट रोड 6. नेगी रोड. 7. करनपुर मौहल्ला. 8. करनपुर बाजार	2500	2200	4000	85	60	35	35



 (विनोद प्रसाद रस्टोड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	डालनवाला	1. म्यूनिसिपल रोड 2. इन्दर रोड 3. प्रीतम रोड 4. मोहिनी रोड 5. बलबीर रोड 6. तेग बहादुर रोड 7. सरकुलर रोड 8. नेहरु रोड 9. कर्जन रोड 10. लक्ष्मी रोड 11. चन्द्र रोड 12. नेमी रोड (इसके अतिरिक्त डालन वाला क्षेत्र में पड़ने वाली समस्त सड़कें तथा मौजा धर्मपुर का नहर/ नालें से उत्तर पूर्व का डालन वाला में पड़ने वाला समस्त क्षेत्र). 13. उग्र रोड 14. डिक रोड डालनवाला नदी क्षेत्र में नदी के किनारे से 150 मीटर तक तथा एम.डी.डी.ए. कालोनी	3000	2800	4000	85	60	35	35
6.	फालतू, लाईन	1. पटेल रोड 2. न्यू रोड 3. कान्हेन्ट रोड 4. पत्त रोड 5. नरदेव शास्त्री मार्ग, 6. इन्दिरा मार्केट	4000	3000	4000	85	60	35	35
7.	धर्मपुर क्षेत्र	1. कजालों वाली गली 1. धर्मपुर 2. नेहरु कालोनी 3. आराधर (उक्त तीनों क्षेत्रों के हरिद्वार रोड के दोनों तरफ 350 मीटर छोड़कर तथा डालनवाला क्षेत्र में आच्छादित क्षेत्र को छोड़ कर)	2800	2600	4000	85	60	35	35
8.	रेसकोर्स	रेसकोर्स	3000	2800	4000	85	60	35	35


64


 (विनोद प्रसाद रस्तोड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	देहराखास	1. रैस्टकैम्प 2. चन्द्र नगर 3. त्यागी रोड 4. सन्त विनोबा भावे मार्ग (नाले से पूर्व) 1. सन्त विनोबा भावे मार्ग नाले के बाद 1. रीठामन्डी 2. सिंगलमन्डी 3. मुस्लिम कालोनी 4. पथरी बाग 5. भन्डारी बाग समस्त ब्लॉक 6. रामनगर 7. लक्खीबाग (कमाक 6 एवं 7 के वह क्षेत्र जो कि सहारनपुर रोड के दोनों तरफ 350 मीटर छोड़कर स्थित है)	2200	2000	3500	85	60	35	10
10.	लक्ष्मण चौक	1. महन्त रोड 2. मालवीय रोड 3. नेशनल रोड 4. पी0डी0 टन्डन रोड 5. विद्यारानन्द मार्ग 6. पार्क रोड 7. केशव रोड 8. सरस्वती सोनी मार्ग 9. गुरु रोड	2600	2400	4000	85	60	35	35
11.	पटल नगर	1. पार्क रोड एवं गुरु रोड तथा सरस्वती सोनी मार्ग (तीनों सड़कों) का नदी क्षेत्र 2. ईस्ट पटल नगर 3. वैस्ट पटल नगर 4. शिवलोक कालोनी. 5. गांधी ग्राम 6. मेहरू नगर (कांवली रोड से 350 मीटर छोड़कर)	2500	2300	4000	85	60	35	35
12.	इन्देश नगर	1. इन्देश नगर 2. जटिया मोहल्ला	1500	1300	3000	65	50	35	35
13.	शियाजी क्षेत्र	1. छबील बाग 2. खदरी मोहल्ला 3. बिन्दाल रोड	2000	1800	3000	65	50	35	35
		1. बिन्दाल रोड का निचला भाग नदी क्षेत्र	1800	1600	3000	65	50	35	35
14.	खुडबुडा क्षेत्र	1. खुडबुडा समस्त ब्लॉक 2. अजीत प्रसाद मार्ग 3. अखाडा मोहल्ला 4. रामेश्वर मोहल्ला 5. आनन्द चौक 6. मालियान मोहल्ला 7. नेताजी मोहल्ला	2300	2100	3500	65	50	35	35


 (विनोद प्रसाद रतूडी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	हकीकत राय नगर	1. हकीकत राय नगर 2. मन्डू गंज 3. डाडीपुर मौहल्ला 4. गुजराती मौहल्ला	2200	2000	4000	65	50	35	35
16.	लूनिया मौहल्ला	1. लूनिया मौहल्ला	2400	2200	4000	65	50	35	35
17.	नारायण दत्त डंगवाल मार्ग	1. डंगवाल मार्ग 2. बकरालवाला 3. डोभालवाला 4. परसोलीवाला 5. अहीर मन्डी, 6. पत्थरियापीर	1800	1600	3500	65	50	35	35
18.	चुखुवाला क्षेत्र	1. इन्दिरा कालोनी 2. चुखुवाला नई बस्ती 3. चुखुवाला 4. मित्रलोक कालोनी, 5. आँकार रोड	1800	1600	3000	65	50	35	35
19.	हाथीबडकला क्षेत्र	1. सालावाला 2. विजय कालोनी 3. हाथीबडकला	2100	2000	3000	65	50	35	35
20.	राजेन्द्र नगर	1. हाथी बडकला नदी क्षेत्र 2. राजेन्द्र नगर 3. कौलागढ़ 4. गढी उददीवाला, 5. दीपलोक 6. नरेन्द्र विहार	2000	1800	4000	85	60	35	35
21.	सगुना कालोनी	1. सौयद मौहल्ला 2. किशन नगर 3. पड़ितवाडी 4. कौलागढ़ मयचक	2000	1800	4000	85	60	35	35
22.	कादली क्षेत्र	1. यमुना कालोनी 2. गोविन्दगढ़ 3. ईदगाह 4. कुम्हार मन्डी, 5. टीचर्स कालोनी 6. इन्द्रानगर कालोनी 2. बसत विहार 1. मोहितनगर 2. आशीवाद एन्कलेव 3. वन विहार 4. विजय पार्क 5. विजय पार्क एक्सटेंशन, 6. दत्ता एनक्लेव	2300	2100	4000	85	60	35	35
			2000	1800	4000	85	60	35	35



 (विनोद प्रसाद रतूडी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

देहरादून नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्रों की दरें

क्र. सं.	मोटर मार्ग	क्षेत्र	सड़क से 50 मीटर तक आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)		सड़क से 51 मीटर दूरी से 350 मीटर तक आवासीय दर (प्रति वर्ग मीटर)		व्यवसायिक दर (प्रति वर्ग मीटर)	दुकान/रेस्टोरेंट कार्या की दर (प्रति वर्ग मीटर)	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
			निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर	निर्धारित दर			गोदान	होटल/रेस्ट हाउस/गराजघर/सिनेमाहाल/पेट्रोल पम्प	अस्पताल/धर्मशाला/मनोरंजन स्थल/अन्य जो कि र.प. वाणि. अधि. के अन्तर्गत है।
1.	राजपुर रोड	घटांधर से मसूरी बाईपास तक एस्ते हॉल, प्रिंसिपल लक्ष्मण प्रसाद रोड	6500	4500	6500	4500	6500	120	100	64	64
			5000	3500	5000	3500	5000	86	60	64	64
		मसूरी बाईपास से राजपुर तक	4000	2700	4000	2700	4000	65	50	64	64
		मसूरी बाईपास से मालसी डीयर पार्क तक	3500	2500	3500	2500	3500	44	35	64	64
		मालसी डीयर पार्क से कुठालगेट तक	3500	2500	3500	2500	3500	44	35	64	64
		कुठाल गेट से राजपुर तक	6000	4500	6000	4500	6000	108	85	64	64
2.	ईस्ट कैनाल रोड	इ.सी. रोड, सुभाष रोड, क्रास रोड, न्यू सर्वे रोड	4000	3000	4000	3000	4000	86	60	64	64
3.	रायपुर रोड	सर्वे चौक से रिस्पना पुल तक रिस्पना पुल से रायपुर तक सहस्त्रधारा चौक से सहस्त्रधारा रोड पर छतरी तक	3000	2500	3000	2500	3000	85	65	64	64
			2500	2000	2500	2000	2000	60	60	60	60

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	चकराता रोड	दिलाराग बाजार से लोहे के पुल तक	5000	3100	5000	85	55	64	64
		लोहे के पुल से गढ़ी डाकघर बाजार तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
5.	चकराता रोड	घंटाघर से विन्दाल पुल तक	6000	4500	6000	108	90	64	64
		विन्दाल पुल से किशन नगर चौक तक	5000	3100	5000	86	60	64	64
		किशन नगर चौक से बल्लपुर चौराहे तक	5000	3100	5000	86	60	64	64
		बल्लपुर चौक से प्रेमनगर बस स्टैन्ड तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
		प्रेमनगर बस स्टैन्ड से नदी तक	2000	1300	3000	65	50	64	64
6.	कौलागढ़ रोड	चुल्लुवाला मार्ग, नारी शिल्प मन्दिर मार्ग, रामपुर मण्डी रोड (चकराता रोड छोड़कर)	5000	3100	5000	86	60	64	64
		किशन नगर चौक से सैन्डल स्कूल तक	4000	2900	4000	86	60	64	64
		सैन्डल स्कूल से आगे कौलागढ़ की सीमा तक	3500	2500	3500	65	50	64	64
7.	राडारनपुर रोड	सहारनपुर चौक से विन्दाल पुल तक	6000	4400	6000	108	90	64	64
		विन्दाल पुल से टनर रोड तक	5000	3100	5000	86	60	64	64
		टनर रोड से सुभाष नगर चौक तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
		टनर रोड, पोस्ट ऑफिस रोड	4000	3000	4000	65	50	64	64
		सुभाष नगर चौक से आगे बग क्षेत्र तक	3500	2500	3500	65	50	64	64


 (विनोद प्रसाद रंजी)


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं शहरी)

देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	कावली रोड	सहारनपुर चौक से नदी तक	5000	3500	5000	86	60	64	64
		नदी से आगे बस्तीवाला चौक तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
9.	हरिद्वार रोड	प्रिंस चौक से जोगी वाला तक	6000	4500	6000	108	90	64	64
		जोगीवाला से हरवाला तक	5000	3750	5000	86	65	64	64
		हरवाला से कुआंवाला तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
		कुआंवाला से डोईवाला तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
		बाईपास सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक	5000	3750	5000	86	65	64	64
		मोथरी वाला रोड	4000	3000	4000	65	50	64	64
10.	गांधी रोड	घंटाघर से रेलवे स्टेशन तक	6500	—	6500	110	90	64	64
		रेलवे स्टेशन से सहारनपुर रोड पर भण्डारी बाग जाने वाली सड़क तक	6500	—	6500	110	90	64	64
		आदत बाजार	10000	—	10000	120	100	64	64
11.	तिलकराड	तिलक रोड	5000	—	5000	86	65	64	64
12.	असारीराड	असारी रोड	5000	—	5000	86	65	64	64
13.	पल्टन बाजार	घंटाघर से कोतवाली तक	11000	—	11000	129	100	64	64

for notis/work
 (विनोद प्रसाद रतूड़ी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	धामवाला/ पीपलमन्डी	कोतवाली से लक्खी बाग चौकी तक दर्शनी गेट / आड़ल बाजार 1. धामवाला 2. राजा रोड 3. अजमल खान रोड 4. डिस्पेन्सरी रोड 5. सरनीमल बाजार 6. मोती बाजार 7. पीपल मन्डी 8. हनुमान चौक 9. दर्शनी गेट 10. झन्डा मौहल्ला / बाजार 11. बाबू गंज 12. घोसी गली 1. जैन कालोनी	10000 10000 6500 6000 6000 3500 4000 3500	— — 6000 4500 3000 3000 2800 3000	10000 10000 6500 6000 6000 3500 4000 3500	120 120 110 65 65 65 65 65	100 100 90 50 50 50 50 50	64 64 35 35 64 64 64 64	64 64 35 35 64 64 64 64
15.	कालीदास रोड	काली दास रोड	3500	3000	3500	65	50	64	64
16.	नैशिवला रोड	राजपुर रोड से काम्बोज स्वीट शाप तक काम्बोज स्वीट शाप से छोटी थिन्दाल नदी तक	4000	3000	4000	65	50	64	64
17.	जनक नारायण सिंह रोड	चकराता रोड क्रासिंग से बल्लीवाला चौक कावली रोड क्रासिंग तक बल्लीवाला चौक कावली रोड क्रासिंग से सहारनपुर रोड तक इन्द्रापुरम्	4000	3000	4000	65	50	64	64


 (विनोद प्रसाद रेड्डी)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 देहरादून।

सामान्य अनुदेशिका

गैर वाणिज्यिक भवनों के निर्माण मूल्य नियत करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य:—

(क) भूमि की स्थिति में—

- 1- भूमि का वर्गीकरण
- 2- सिंचाई की सुविधा की पर्याप्तता
- 3- सड़क, बाजार, बस-स्टेशन, कारखानों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से दूरी
- 4- इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के सम्बन्ध में अवस्थिति

(ख) गैर वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में—

- 1- भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा उसकी लागत
- 2- मजदूरी प्रभार
- 3- निर्माण के प्रकार, भवन की आयु और मूल्य हास

(ग) वाणिज्यिक भवनों की स्थिति में—

- 1- परिक्षेत्र में विद्यमान किराया
- 2- परिक्षेत्र में आर्थिक क्रिया-कलाप

गोशों की स्थिति—

- 1 नगरीय 2 अर्द्ध नगरीय 3 ग्रामीण 4 वाणिज्यिक 5 औद्योगिक


वाणिज्यिक भवनों के प्रकार—

1. दुकान 2. रेस्टोरेंट 3. कार्यालय 4. गोदाम 5. होटल 6. गेस्ट हाउस 7. बारात घर 8. सिनेमा हॉल 9. पेट्रोल पम्प
10. अस्पताल 11. धर्मशाला 12. मनोरंजन स्थल तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित हों।

भवनों की मूल्यांकन सूची तथा उनमें वर्णित होने वाले आवश्यक तथ्य—

आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूची के अनुसार किया जायेगा।

1. सूची में वर्णित प्रमुख मार्गों के इतर अन्य मुख्य सड़क का तात्पर्य 30 फुट चौड़ी सड़क से होगा। परन्तु यह नियम पुराने मौहल्लों पर लागू नहीं होगा।
2. सम्पत्ति की सीमा में उल्लिखित सड़क की चौड़ाई खोलना अनिवार्य होगा।
3. बहुखण्डीय आवासीय भवनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर स्थित भवनों में भूखण्ड के मूल्यांकन पर क्रमशः 40% , 50% तथा 60% की छूट होगी।
4. टीनपोश भवन में क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।


(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून।

5. गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा:-
भवनों की श्रेणीवार दर सूची- (रु० प्रति वर्गमीटर में)

क्रम सं०	भवनों की श्रेणी	निर्धारित दर
1.	उत्तम श्रेणी	5000
2.	साधारण श्रेणी	4500
3.	दीनपेश	3000

टिप्पणी:

- 1- भवनों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों/अभिलेखों का वर्णन/सलग्न आवश्यक होगा।
I स्वीकृत मानचित्र/ मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र। II भूखण्ड का क्षेत्रफल
III निर्माण का प्रकार व वर्ष IV निर्मित क्षेत्रफल
- 2- बहुखण्डीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण अगणित मूल्यांकन पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर कमशः 10%, 20%, 30%, कम दरें लागू होंगी।
- 3- वाणिज्यिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकान की प्रति वर्ग मीटर किराया निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा जिसके लिये मूल्यांकन प्रति वर्ग मीटर मासिक किराया जो कि प्रत्येक क्षेत्र ले आगे अंकित है X 300 + भूखण्ड का सर्किल दर से मूल्यांकित मूल्य का योग होगा।
- 4- समस्त राजस्व ग्रामों में उल्लिखित सीमा 1000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के अंतरण पर आबादी होने की स्थिति में उक्त क्षेत्र की आवासीय दरें लागू होंगी।
- 5- राजसनादेश के अनुरूप विकीत सम्पत्ति के संबंध में वांछित घोषणा पत्र/प्रपत्र पक्षकार द्वारा दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा।
- 6- सम्पत्ति में वृद्धों का मूल्यांकन उद्यान विभाग द्वारा निर्गत सूची के अनुरूप किया जायेगा।
- 7- महायोजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में रुपये 1000/- प्रति वर्ग मीटर की दर लागू होगी, परन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रमुख मोटर मार्गों पर पड़ने वाली परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रमुख मोटर मार्ग के निर्धारित दर के अनुसार होगा।
- 8- उ०प्र० वित्त निगम एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा निर्षादित विलेखों के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति का बाजार मूल्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के बराबर होगा।

9- श्राभिक चिकित्सा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था के पक्ष में भूमि क्रय करने पर वहां की आवासीय दरें लागू होंगी।

10- यदि भूमि पर बाउण्ड्री वॉल/चार दीवारी का निर्माण है तो उसका मूल्यांकन 160/- रुपये प्रति रनिंग वर्ग मीटर से आंकलित होगा। बाउण्ड्री वॉल/चार दीवारी के निर्मित क्षेत्रफल का आंकलन बाउण्ड्री वॉल/चार दीवारी की ऊंचाई X लम्बाई के आधार पर किया जायेगा।



(विनोद प्रसाद रतूड़ी)

उपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
देहरादून।